प्रेस विज्ञप्ति

2-5-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अंसल एपीआई) और अन्य के मामले में 30.04.2025 को गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में पांच परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान प्रणव अंसल (प्रमोटर निदेशक), दीपक मोवर (निदेशक), अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों और अंसल एपीआई के कॉर्पोरेट कार्यालयों के आवासों पर चलाया गया।

ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अंसल एपीआई और उसके वरिष्ठ प्रबंधन के खिलाफ दर्ज 100 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप लगाया गया। एफआईआर में सामूहिक रूप से 135.51 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का संकेत मिलता है जिसमें निवेशकों और घर खरीदारों को ऐसी परियोजनाओं में फंसाया गया जो या तो कभी पूरी नहीं हुई या कभी सौंपी ही नहीं गई, और एकत्र की गई धनराशि कथित तौर पर हड़प ली गई।

ईडी की जांच से पता चला कि खरीदारों के पैसे का एक बड़ा हिस्सा विपथित और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। कई बार समन भेजे जाने के बावजूद, वरिष्ठ प्रबंधन जांच में सहयोग करने में विफल रहा और आवश्यक वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इनमें वित्तीय विवरण, अंसल समूह की परियोजना-स्तरीय वित्तीय जानकारी, अंसल एपीआई की 174 सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों के बैंक खाते का विवरण शामिल है। तलाशी के दौरान एक मोबाइल डिवाइस से प्रणव

अंसल, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर 217.80 करोड़ रुपये की 62 अचल संपत्तियों की विस्तृत सूची बरामद की गई।